

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर ग्रामीण

केस संख्या :-

2024

22 11
24

पुत्रवली मूल वाद के साथ साथ पुत्रवली
प्राप्ति दायित्व। मूल वाद विद्वा होने ल
प्राप्ति का कोई अर्थवित्त शेष
अतः प्राप्ति खारिज किया जाता है।
पुत्रवली प्रत्यक्ष द्वारा हीकर
से कम है।

36
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)